

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार-III,  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
न्याय कक्ष संख्या-01  
बुलन्दशहर।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,  
बुलन्दशहर।

**विषय:** डिस्ट्रिक्ट बार एसोसियेशन, बुलन्दशहर, के पत्र दिनांकित 20.03.2021 पर मुझसे मांगी गई आख्या का प्रेषण।

महोदय,

ससम्मान विनम्र प्रार्थना है कि दिनांक 25.11.2020 को समय करीब 2 बजकर 10 मिनट पर जब विद्वान न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) बुलन्दशहर, उ.प्र. भारत में नियुक्त विशेष लोक अभियोजक श्री सुनील कुमार शर्मा, अवकाश पर थे और विशेष वाद संख्या 3717 सन 2018, राज्य बनाम विकास, अन्तर्गत धारा 376 डी भा०द०सं० व पॉक्सो अधिनियम, थाना अरनियॉ जिला बुलन्दशहर, उ०प्र० के मामले में विवेचक श्री डी०पी० सिंह, जो मेरठ से आये थे, का मुख्य परीक्षण विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज०) श्री नवनीत कुमार शर्मा के द्वारा लिखाया जा रहा था, तभी वर्तमान विद्वान डी०जी०सी० (क्रि) श्री राहुल उपाध्याय, न्यायालय कक्ष में आये जब न्यायिक कार्य चल रहा था तथा पीठासीन अधिकारी, डायस पर बैठे हुए थे। श्री नवनीत कुमार शर्मा, विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज०) से वार्तालाप प्रारम्भ कर दिया कि श्री सुनील कुमार शर्मा, विद्वान विशेष लोक अभियोजक के दिमाग खराब हो गये हैं और श्री नवनीत कुमार शर्मा विद्वान ए०डी०जी०सी० (क्रि) पॉक्सो कोर्ट में कैसे आ गये तब श्री नवनीत कुमार शर्मा, के द्वारा बताया गया कि न्यायालय के आदेश से वो विवेचक का मुख्य परीक्षण करा रहे हैं। इतने में ही विद्वान डी०जी०सी०(क्रि) श्री राहुल उपाध्याय, ने श्री नवनीत कुमार शर्मा, विद्वान ए०डी०जी०सी० (क्रि) की गर्दन पकड़ते हुए गालियॉ देते हुए कोर्ट के बाहर यह कहते हुए ले गये कि क्या अभियोजन या जज साहब का ठेका ले रखा है। श्री राहुल उपाध्याय, विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज०) श्री नवनीत कुमार शर्मा, विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज०) से गुथमगुथा होकर मारपीट करने लगे।

उक्त घटना के सम्बन्ध में श्री नवनीत कुमार शर्मा, विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज०) के द्वारा दिनांक 03.12.2020 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 195(1) (बी) सपठित धारा 340 द०प्र०सं० में प्रस्तुत किया गया जो बतौर फौजदारी विविध वाद संख्या-336 सन 2020, नवनीत कुमार शर्मा बनाम राहुल उपाध्याय, विद्वान न्यायालय विशेष न्यायाधीश, (पॉक्सो अधिनियम), बुलन्दशहर उ०प्र० के यहॉ दर्ज किया गया। जॉचोपरान्त यह पाया गया कि श्री राहुल उपाध्याय, विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज०) के विरुद्ध धारा 323,504,228 भा०द०सं० के तहत परिवाद दायर किया जाए। इसी संदर्भ में दिनांक 15.1.2021 को विद्वान न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर, उ०प्र० भारत के न्यायालय में श्री राहुल उपाध्याय, विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज०) के विरुद्ध परिवाद तैयार कर भेजा गया। जिस पर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर ने श्री राहुल

उपाध्याय, विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) के विरुद्ध धारा 323,504,228 भा०द०सं० के अन्तर्गत प्रसंज्ञान लिया गया और बाद बतौर फौजदारी बाद संख्या 593 सन 2021, राज्य बनाम राहुल उपाध्याय, जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0), सन 2021, राज्य बनाम राहुल उपाध्याय, विद्वान जिला बुलन्दशहर, के रूप में दर्ज किया गया और श्री राहुल उपाध्याय, विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) को बतौर अभियुक्त दिनांक 03.02.2021 को तलब किया गया।

विद्वान न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष संख्या-1, बुलन्दशहर, उ०प्र० भारत का कार्यभार दिनांक 28.1.2021 को मेरे द्वारा ग्रहण किया गया और न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-1, बुलन्दशहर में श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) कार्यरत थे। वास्तव में जब मेरी नियुक्ति बतौर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर, उ०प्र० के पद पर दिनांक 28.01.2021 को हुई तब उसके बाद विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, मेरे पास मेरे विश्राम कक्ष में कई मामलों में अभियुक्तगण की सिफारिश हेतु आये। मेरे द्वारा मना करने एवं ऐसा कहने पर कि कोर्ट साहब आपको यह शोभा नहीं देता है तब श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) को अच्छा नहीं लगा और तभी कुन्तित होकर श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) के द्वारा पक्षकारों से मिलकर स्थानांतरण प्रार्थना पत्र उन मामलों में डलवाना शुरू कर दिया जो मामले निर्णय के नजदीक थे या जिनमें बहस होनी थी व बहस हो चुकी थी।

दिनांक 19.3.2021 को श्री राहुल उपाध्याय, विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) व श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) द्वारा मीडिया के समक्ष न्यायालय पर झूठे आरोप लगाते हुए न्यायालय परिसर में ही स्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) के कार्यालय में प्रैस कान्फ्रेन्स बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये, किया और सम्पूर्ण न्यायपालिका की निष्पक्षता पर झूठे व गम्भीर आरोप लगाये तथा अपने झूठे वक्तव्यों को मीडिया के हवाले किया जिसका प्रसारण इन्डिया न्यूज वन, न्यूज चैनल पर दिनांक 19.03.2021 को समय सांय 5.00 बजे से सांय 7.16 बजे तक प्रसारित किया गया।

इस प्रकार श्री राहुल उपाध्याय, विद्वान डी०जी०सी०(क्रि) बुलन्दशहर व श्री रवीन्द्र कुमार शर्मा, विद्वान ए०डी०जी०सी०(क्रि०) बुलन्दशहर के द्वारा मीडिया के समक्ष वक्तव्य देने के कारण दुराचार (Misconduct) किया गया है।

यह भी प्रासांगिक है कि श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) के द्वारा दिनांक 19.03.2021 को त्यागपत्र देने का नाटक किया गया जबकि उनके द्वारा दिनांक 19.3.2021 से कुछ दिन पूर्व मुझे यह बताया था कि उनका नवीनीकरण राज्य सरकार के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। इसके उपरान्त यह जानते हुए कि श्री रवीन्द्र कुमार शर्मा, विद्वान ए०डी०जी०सी०(क्रि०) के द्वारा त्यागपत्र दिया जा चुका है दिनांक 20.3.2021 को श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) की नियुक्त कार्यालय जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, जनपद बुलन्दशहर के पत्रांक एसटी- डी०जी०सी०-विविध 87 / 2021 दिनांक 20.03.2021 से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) द्वारा विशेष न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) न्याय कक्ष संख्या-2, बुलन्दशहर में की गई।

यह भी विदित है कि श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजो) श्री राहुल उपाध्याय, विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजो), बुलन्दशहर, उ0प्र0 भारत, के अधीन कार्यरत हैं तथा उनके मित्र भी हैं। श्री राहुल उपाध्याय, विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजो), बुलन्दशहर के विरुद्ध धारा 340 द0प्र0सं0 के प्रकरण में जॉचोपरान्त मेरे द्वारा दाखिल किया गया फौजदारी वाद संख्या 594 सन 2021, से नाराज रहने के कारण श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजो) का सहारा लेकर के पड़यन्त्र के तहत जब श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजो) को यह सूचना मिल गई कि उनका नवीनीकरण निरस्त कर दिया गया है तब उनके द्वारा अपना त्यागपत्र देने का नाटक किया गया और इसी कड़ी में झूँठा त्याग पत्र देने का नाटक करते हुए जिलाधिकारी, बुलन्दशहर को प्रार्थना पत्र (त्यागपत्र) दिया गया है और उसकी एक प्रति डिस्ट्रिक्ट बार एसोसियेशन को दी गई जिसके अनुसार ही डिस्ट्रिक्ट बार एसो0, बुलन्दशहर द्वारा माननीय महोदय को मेरे विरुद्ध शिकायती पत्र भेजा गया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भूतपूर्व कैप्टन हरीश उप्पल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य, निर्णीत दिनांक 17 दिसम्बर, 2002, आर0 मुश्यू कृष्णन बनाम रजिस्ट्रार जनरल माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास, रिट पिटीशन (सी) नं0 612 सन 2016 निर्णीत दिनांक 28 जनवरी, 2019 एवं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसियेशन देहरादून द्वारा सचिव बनाम ईश्वर संघिलया व अन्य बनाम स्पेशल लीव पिटीशन संख्या 5440 सन 2020, निर्णीत दिनांक 28 फरवरी, 2020, के मामलों में माननीय न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि यदि जिला बार एसोसियेशन को किसी अधिकारी से शिकायत है तब भी बार एसोसियेशन हड़ताल पर नहीं जा सकती है।

इस प्रकार डिस्ट्रिक्ट बार एसोसियेशन, के द्वारा दिनांक 20.03.2021 में माननीय महोदय को प्रेषित न्यायिक कार्य से विरत रहने का पत्र माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई विधि के विपरीत है।

माननीय महोदय से विनम्र प्रार्थना है कि दिये गये स्पष्टीकरण पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की कृपा करें।

दिनांक: 23.03.2021

मवदीय,  
23/3/21  
(वीरेन्द्र कुमार-III)  
अपर जिला न्यायाधीश,  
न्याय कक्ष संख्या-01  
बुलन्दशहर, आई.डी.नं.यू.पी.5804